

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/180

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट


श्री डी.के. गुप्ता  
निवासी 40, यूनिवर्सिटी रोड  
स्टेनवर्ड स्कूल के पास,  
उदयपुर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अधिकाधी अधिकारी  
नगरपालिका आबूरोड

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 33 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
30.06.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकाधी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड को दिनांक 28.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगर पालिका आबूरोड कार्यालय की निविदा संख्या 17/2024-25 से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकाधी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड को दिनांक 28.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगर पालिका आबूरोड कार्यालय की निविदा संख्या 17/2024-25 से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिकाधी अधिकारी नगर पालिका आबूरोड से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अधिकाधी अधिकारी नगर पालिका आबूरोड के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरौही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(अल्पा चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरौही